पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

खांडा

गाँव - खांडा

पंचायत - पालमाण्डव

तहसील-दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

खांडा गाँव का परिचय

खांडा गाँव जिला कार्यालय डूंगरपुर से 25 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। पालमाण्डव पंचायत में पांच राजस्व गाँव है - देवली, दरा, खांडा, पालमाण्डव, हडमतिया । खांडा पालमाण्डव ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। राजस्व गाँव खांडा के उत्तर में बांदीघाटी, पूर्व में हडमतिया, दक्षिण में दरा और पश्चिम में देवली है । खांडा गाँव में 5 फलें है-

1. काकीडूंगरी
2. वाडा फला
3. धूरवाली फला
4. समोत फला
5. कावलिया फला

खांडा गाँव में शिलालेख वर्ष 2018 को हुआ और गाँव सभा और शांति समिति का गठन भी कर दिया गया । खान्डा गाँव में 200 घर है जिनकी आबादी लगभग 1000 है । गाँव में एस. टी. के अलावा और किसी भी जाति के लोग नहीं रहते है । एस.टी. जाति में परमार, कटारा, अहारी उपजाति के लोग प्रमुख है । वागड़ मजदूर किसान संगठन की पेसा कानून की जानकारी देने वाली बैठकों से गाँव के लोगों में पेसा कानून को लेकर समझ बनी है । हालाँकि गाँव के अधिकतर शिक्षित लोग गाँव से बाहर रोजगार की तलाश में चले गये है । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँवसभा की बैठक की जाती है, जिसमे गाँव के आपसी झगडों और समस्याओ का समाधान आपसी सहमती से किया जाता है ।

गाँव की पूरी जमीन का रकबा 229 हेक्ट है । जिसमें कृषि योग्य जमीन 88 हेक्ट है तथा बेनामी जमीन 118 हेक्ट है, चरागाह पर गाँव वालों का कब्ज़ा है । पहाड़ और जंगल की जमीन को वन विभाग ने अपने अधिकार कर रखा है । पहाड़ और जंगल की जमीन गाँव के पश्चिम दिशा में है । संसाधनों के नाम पर 4 तालाब, 2 नाले, 1 मंदिर, 1 प्रा. स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 एनिकट, 15 कुआ, 10 हैंडपंप, 9 बिजली डीपी, 1 आंगनवाडी, 3 पुलिया, 1 सामुदायिक भवन, 1 बस स्टैंड, 1 शमशान घाट है ।

आवागमन की स्थिति

गाँव में दो पक्की सड़क है -

1. देवली से खांडा गाँव से होते हुए हडमतिया निकलती है
2. मुख्य सड़क से बांदीघाटी जाती है

गाँव के ज्यादातर घर पक्की सड़क के किनारे ही है इसलिए आवागमन के लिए आसानी से ऑटो, जीप मिल जाते है । गाँव में एक बस स्टैंड है । यहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो मिल जाते है जिससे सड़क से जुड़े दूसरे गाँवों में जाने में आसानी होती है, लेकिन गाँव के अंदरूनी फलों में कच्ची ग्रेवल सड़क बारिश के

मौसम में समस्या पैदा करते है । गाँव के अंदरूनी हिस्सों में सड़को का अभाव है । खरीदारी के लिए बड़ा बाजार डूंगरपुर 25 किमी दूर जाना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में केवल एक प्राइमरी विद्यालय है। जिसमे 30 छात्र और 1 अध्यापक है । प्राथमिक विद्यालय हालत ठीक नहीं है । विद्यालय में छत से पानी टपकना, पीने के शुद्ध पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है । विद्यालय में कक्षा-कक्ष और अध्यापकों की कमी है बच्चों को विद्यालय प्रांगण में बैठा कर पढाया जाता है । खेल मैदान की बाउन्ड्री नहीं है । उच्च शिक्षा के लिये 25 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे वही कमरा किराये पर लेकर रहते है या हॉस्टल में रहते है ।

गाँव में एक आंगनवाड़ी है जिसमे लगभग 17 बच्चे जाते है लेकिन वहाँ पीने के पानी सुचारू व्यवस्था नही है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है। सरकारी अस्पताल गाँव से 4 किमी दूर दामड़ी में है और बडा हॉस्पीटल 25 किमी दूर डूंगरपुर में है। जहाँ के लिए 108 या 104 की सुविधा मिल जाती है । ज्यादा गंभीर मामलों में मरीजों को अहमदाबाद या उदयपुर रेफ़र किया जाता है ।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के लगभग सभी घरों में बिजली है और लगभग 60 प्रतिशत घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुँच गया है । गाँव में कुल आवास पात्रो की संख्या 115 है जिसमे 73 इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी है गाँव में कुछ लोगों का जॉब कार्ड और सभी लोगों का श्रमिक कार्ड नहीं बना है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य जमीन 88 हेक्ट है, जिस में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह केवल चार माह खाने तक का ही हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा में काम करते है । नरेगा में गाँव की सभी महिलाये जाती है । मनरेगा में ना ही काम की पूरी नपती होती है और न ही पूरी मजदूरी मिलती है । गाँव में काम नहीं मिलने पर लोग कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है ।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

गाँव में सिंचाई के पानी के लिए 4 तालाब, 3 एनिकट, 15 कुआँ, 2 नाले, 4 निजी बोरवेल है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में तालाब, एनिकट और नाले में पानी सूख जाता है । कूओ और बोरवेल में भी पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । तीनो एनिकट की स्थिति तो

अच्छी है लेकिन पानी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है । सिंचाई के पानी के अभाव के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नही हो पाती है, कई बार तो पानी के कमी से खेतों में खड़ी फसल पकने से पहले सूख जाती है ।

चारागाह, जंगल एवं पहाड़

गाँव में चरागाह और जंगल की जमीन है, जिस पर वन विभाग व सरकार का कब्ज़ा है । गाँव की पश्चिम दिशा में पहाड़ो पर ही कुछ जंगल बचा है,

खांडा गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओ का विवरण

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गाँव के जंगल पर वन विभाग ने कब्ज़ा कर लिया है । जंगल में विलायती बबूल ज्यादा है, इसके अलावा लकड़ी, बांस, गोंद जैसी लघुवन उपज है, लेकिन इसके संग्रहण, एकत्रण और उपभोग और बिक्री पर वन विभाग ने पाबंदी लगा रखी है, यदि कोई गाँववासी इसका उलंगन करता है उसे जेल या जुर्माना किया जाता है । पहाड़ पर खनन करके फ्लोराइड खनिज निकाला जाता था अभी वर्तमान में यह खदान बंद कर दी गयी है । खनन करने का सीधा प्रभाव वन भूमि और जंगली पशुओ पर पड़ा, जंगल समाप्त प्राय हो गया है । जंगल और चारागाह जमीन पर गाँव ने अभी सामुदायिक दावा नहीं किया है ।

आवागमन की समस्या

गाँव में दो पक्की सड़के है और दो सी.सी. सड़क और दो कच्ची सड़क है । जो घर मुख्य रोड के किनारे बने है उन्हें आवागमन से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है लेकिन गाँव के फलों में जाने के लिए अधिकतर पगडण्डिया ही है जो बारिश में कीचड़ से भर जाती है, रात्रि में आने जाने वालों को जंगली जानवरों का डर रहता है, साथ ही गर्भवती महिलाओं, बीमारों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या रहती है । पगडण्डी पर मोटर साईकिल या पैदल ही जाया जा सकता है। गर्मी में धूल उड़ने की वजह से लोगो को साँस की तकलीफ होने लगी है । दूसरे गाँव में जाने के लिए ऑटो, जीप केवल मुख्य सड़क से ही मिलते है जिसके लिए फलों के लोगो को डेढ़ किमी पैदल चलना पड़ता है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में अधिकतर लोग 60 सालों से अधिक समय से रह रहे है लेकिन उन्हें अपने कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं है । जिन लोगो को पट्टा या खातेदारी हक मिला है वो भी बहुत कम मिला है, इतनी जमीन पर एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उगाया जा सकता है । वर्तमान में सरकार ने राजस्व विभाग ने पट्टे देना बंद कर दिया है और धारा 91 की रसीद भी जमा करना बंद कर दिया है । गाँव में समतल खेती वाली जमीन बहुत कम है । ज्यादातर खेत पहाड़ी ढलान वाले और उबड़-खाबड़ है जिन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है । पानी की कमी और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था

नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश के पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । गाँव में पानी की व्यवस्था के लिए 4 तालाब, 2 नाला, 3 एनिकट 15 कुएं है लेकिन तालाब कम गहराई होने और एनिकट में दरारों से रिसाव के कारण साल भर पानी नहीं रहता है। नाले में भी बारिश में ही पानी रहता है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 15 कुएं, 10 हैंडपंप है । जिनमें साल के मई, जून माह तक 9 कुएं और 4 हैंडपंप सूख जाते है । सभी हैण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में चरागाह की जमीन पर वन विभाग और सरकार का कब्ज़ा है । बारिश में चारागाह में होने वाली घास कों काटने के लिए वन विभाग के द्वारा टी. पी. काटी जाती है, जिसमे 3 दिन चारा काटा जाता है । खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। पशुओ के लिए चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 17000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है। पौष्टिक और पूर्ण आहार की कमी के कारण दुधारू पशु कम दूध देते है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में केवल एक प्राइमरी विद्यालय है। जिसमे 30 छात्र और 1 अध्यापक है । प्राथमिक विद्यालय हालत ठीक नहीं है । विद्यालय में छत से पानी टपकना, पीने के शुद्ध पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है । विद्यालय में कक्षा-कक्ष और अध्यापकों की कमी है कक्षाओं को विद्यालय प्रांगन में बैठा कर पढाया जाता है । चूँकि अध्यापक पूरे नहीं है अतः दी जाने वाली शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है और नामांकन भी कम होता है । शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चों को हिंदी के वर्ण, गणित में दस तक पहाड़े और अंग्रेजी भाषा के अक्षरों की सही से पहचान और उच्चारण नहीं कर पाते है । खेल मैदान की बाउन्ड्री नहीं है । उच्च शिक्षा के लिये 25 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे यही पर किराये के कमरे में रहते है और कुछ रोजाना गाँव से आते-जाते है । गाँव में एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है, बडा हॉस्पीटल गाँव से 26 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है जिसके लिये मुख्य सड़क से 108, 104, टेम्पो की सुविधा है।

कृषि, खाद्यान्न और रोजगार की स्थिति

गाँव में खेती बारिश के मौसम पर निर्भर है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की कमी है । अधिकतर लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में समतल जमीन नहीं के बराबर है । गाँव में जिनके पास समतल जमीन है बारिश के अलावा वे ही लोग फसल उगा पाते है जिनके पास निजी बोरवेल है । पैदा होने वाला अनाज 4 महीने खाने भर का हो जाता है। किसी भी

प्रकार की नकदी फसल की खेती नहीं की जाती है । खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकताओ की भी पूर्ति नहीं हो पाती है । नरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है और 90 से 110 रु. मजदूरी मिलती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ कडिया काम मिल जाता है । जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

सरकारी योजनओं से वंचित

गाँव सभा ने एक बैठक में पाया कि गाँव में लगभग 40 लोगो को वृद्धापेंशन, 2 लोगो को विकलांग पेंशन, 10 महिलाओं को विधवा पेंशन और 4 महिलाओं को एकलनारी पेंशन नहीं मिली है । गाँव के 10 परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जोड़ा गया है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव में कोई नदी नहीं है । गाँव में 2 बरसाती नाले है जो बारिश के मौसम में चालू रहते है । 3 एनीकट बने हुए है लेकिन उनकी पाल में दरारे पड़ गयी है जिनसे पानी निकल जाता है, कम गहरे है मिटटी का भराव हो गया है । चारों तालाब भी छोटे और कम गहरे है उनमे भी पानी बारिश के समय ही रहता है, तालाबों का पानी पशुओ के पीने में काम आता है ऐसी स्थिति में मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गाँव में 15 कुएं और 10 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है ।	यदि तालाबों के तलहटी से कीचड़ निकल कर गहरा किया जाये तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है इससे सिचाई भी पूरी हो सकती है और पशुओ के लिए पूरा पानी मिल जायेगा । पहाड़ी ढलान में पक्के चेकडेम बनाये जाये । एनिकट की मरम्मत की जाये तो पानी अधिक समय तक रहेगा और भू जल का स्तर भी उपर उठेगा । इस प्रकार गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी से कुएं रिचार्ज करके पीने के पानी का संकट दूर किया जा सकता है । बोरवेल पानी निकालने के बजाय कुओं से पानी निकलना ताकि जल स्तर बना रहे । गाँव में अधिक फ्लोराइड की समस्या वाले

		फलों में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव में कृषि की समतल जमीन नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव में चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे लोग काट कर लाते हैं। पश्चिम दिशा में पहाड़ो पर ही गाँव का जंगल है, पहाड़ और जंगल दोनों ही वन विभाग के अधिकार में है । बिलानाम जमीन 118 हेक्ट है और सरकारी कब्जे में है ।	गाँव के उबड़-खाबड़ खेतों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत गाँवसभा के प्रस्ताव में लिखवाकर समतलीकरण करवाना । गाँव की बेकार पड़ी जमीन कों गाँवसभा के अधीन करके उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। गाँव के जंगल पर सामुदायिक वनाधिकार लेकर जंगल को पुनर्जीवित करके लघु वन उपज प्राप्त करना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव की सी.सी. और कच्ची सड़को की संख्या कम है, ज्यादातर पगडण्डिया है । ज्यादातर घर गाँव के भीतर पहाड़ियों पर है जिस कारण वहाँ केवल सी.सी. सड़के ही उपयोगी हो सकती है ।	जहाँ सम्भव हो वहां पक्की सड़क निकालना, गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़कों को चौड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी।
स्कूल	गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। स्कूल में खेल का मैदान नही है ना ही छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय है । बच्चों कों पढ़ाने के लिए अध्यापक भी पूरे नहीं है कक्षा कक्ष की कमी है ।	प्राइमरी स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाना । खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । शिक्षा अधिकारी से बात करके पूरे अध्यापक नियुक्त करवाना ।
आंगनबाड़ी केंद्र	गाँव में 1 आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन इसकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नही है ।	छत और फर्श की मरम्मत करवानी है । बच्चों के खेलने और अक्षर ज्ञान के लिए पूरी व्यवस्था करवाना और छोटा आर. ओ लगवाना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में केवल 1 प्राथमिक स्कूल है, जिसमे 30 बच्चों पर 1 अध्यापक है । प्राथमिक स्कूल में अध्यापक नहीं है, छत से बारिश में पानी और प्लास्टर गिर रहा है, खेल का मैदान और शौचालय की हालत सही नहीं है । जिस कारण अभिभावक भी बच्चों को पढने के लिए हड़मतिया गाँव के स्कूल भेजते है	गाँव में एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाये और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी व्यवस्थाये पूरी दी जाये ।	**तात्कालिक**
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में जितने भी पेयजल के स्रोत है जैसे - कुएं, हैंडपंप, बोरवेल इन सभी का पानी गर्मी में सूख जाता है । इनका पानी फ्लोराइड से दूषित है जिससे गाँव वालों में हड्डियों की बीमारी और जोडों में दर्द की समस्या हो रही है, इससे निजात दिलाने के लिए आर.ओ. नहीं है ।	गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि जो हैंडपंप बंद हो गये है जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में एनिकट मरम्मत और पक्के चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।	**दीर्घकालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के	**तात्कालिक**

			नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 2 एनिकट और 1 तालाब है लेकिन पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है । अच्छी कृषि तकनीक ज्ञान, उन्नतशील बीज का अभाव है । रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग करना ।	अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा चेक डैम का निर्माण। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। घर और खेतों में टाके (पक्के खड्डे) बनवाना । अच्छी उपज लेने के लिए खेतों में जैविक खाद के प्रयोग के लिए लोगो कों प्रेरित और प्रोत्साहित करना ।	
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की सड़क व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप प्रर्याप्त नहीं है । पगडण्डिया संकरी है जिससे ऊँची पहाड़ियों पर आने जाने वाले राहगीरों को समस्या होती है	गाँवसभा कमेटी के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और कच्ची सड़क कों सी.सी. सड़क में बदलना । मुख्य सड़क किनारे नालियों और रोड लाइट की व्यवस्था करना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना**	**व्यक्तिगत**	गाँव में आवास योजना, पेंशन योजना, शौचालय निर्माण में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाँव में अधिकतर लाभान्वित लोगो को राशि का भुगतान नहीं हुआ है । कुछ पात्र लोग अभी भी इस योजना से वंचित है । समस्या यह है कि सरकारी कागजी कार्यवाही समय पर पूरी ना होना, भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल गया है ।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**

6	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में राशन की दुकान नही है इसके लिये 2 किमी दूर देवली जाना पड़ता है और डीलर खाद्य सामग्री भी पूरी नहीं देता है । अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । दुकान पर अन्य गाँवो से भी लोग आते है	राशन की एक दुकान गाँव में खोली जाये, गाँव के चिन्हित 10 परिवारों कों खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाये । राशन डीलर को पाबंद कर समय पर दुकान खोलने और पूरा राशन दिलवान और जिन लोगों कों राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना । राशन की दुकान को ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये जहाँ इंटरनेट की समस्या ना होवे ।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना । पगडंडी को चौड़ा नहीं करना । सी.सी. सड़कों को चौड़ा नहीं करवाना । पक्की सड़क की मांग नहीं करना ।	पक्की और सी.सी. सडको की संख्या बढ़ायी जाने से गाँव के भीतरी भागों में आसानी से साधन आ जा सकते हैं, कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क होने से आने जाने में समय की बचत होगी । बीमार लोगो को मेडिकल मदद जल्दी मिल सकती है ।	सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना । गाँव सभा कमेटी पंचायत पर प्रभावी दबाव नहीं बना पा रही है ।
जल नाला तालाब एनिकट	गर्मी में कुएं, हैंडपंप, तालाब और बोरवेल का पानी समाप्त प्राय हो जाता है । कुओं के	कच्चे-पक्के चेकडेम निर्माण, बरसात के पानी को रोकने के लिए हर घर में एक टंकी का	पंचायत द्वारा पानी की कमी से निपटने की कोई कार्य योजना नहीं होना । जल संरक्षण के

कुआं बोरवेल हैंड पंप	पुनर्भरण व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए जल संरक्षण के बारे में गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	निर्माण करवाना । जिससे सिचाई और शुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। बोरवेल का उपयोग कम करके कुओ से पानी निकालना । ताकि जल स्तर एकदम से निचे न जाये ।	प्रति गाँव के लोगों में खास रूचि ना होना या मुद्दे के प्रति उदासीनता । जल संरक्षण योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने में असमर्थता ।
आजीविका के साधन	गाँव में रोजगार के लिए सिर्फ खेती और नरेगा ही है । रोजगार के साधनों का अभाव। उन्नत बीज और उन्नत कृषि तकनीक के अभाव में उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। रासायनिक खाद के अत्यधिक छिडकाव से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होकर बंजर हो रही है।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलू उद्योग भी किये जा सकते है। गाँव के लोगो को जैविक खाद छिडकाव और इसके निर्माण के बारे में प्रशिक्षण देना	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नत कृषि तकनीक और उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

- **नजरिया नक्शा**

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन सम्बंधित प्रस्ताव	
वृद्धा पेंशन	32
विधवा पेंशन	3
विकलांग पेंशन	4
एकलनारी	1
पालनहार 6-18 वर्ष	3
पी.एम. आवास सम्बंधित प्रस्ताव	23
शौचालय बकाया राशि भुगतान सम्बंधित प्रस्ताव	9
आंगनवाडी भवन निर्माण	2
सामुदायिक भवन निर्माण	1

सड़क निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव सी.सी. सड़क कच्ची सड़क	 5 1
हैंडपंप सम्बंधित प्रस्ताव नया हैंडपंप पुराना हैंडपंप मरम्मत	 8 7
राशन की दूकान खोलने सम्बंधित प्रस्ताव	1
चेकडेम निर्माण सम्बंधि प्रस्ताव	27
एनिकट निर्माण सम्बंधि प्रस्ताव	2
नया हैंडपंप खुदवाने सम्बंधि प्रस्ताव	25
केटेगरी 4 के कार्य खेत तलावडी, पशुबाड़ा निर्माण, कुआ गहरीकरण, नया कुआ/पुराना कुआ गहरीकरण, खेत तलावडी, मेडबंदी सम्बंधि प्रस्ताव	38
शमशान घाट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
चारागाह जमीन पर लगे बबूल हटाकर वृक्षारोपण प्रस्ताव	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

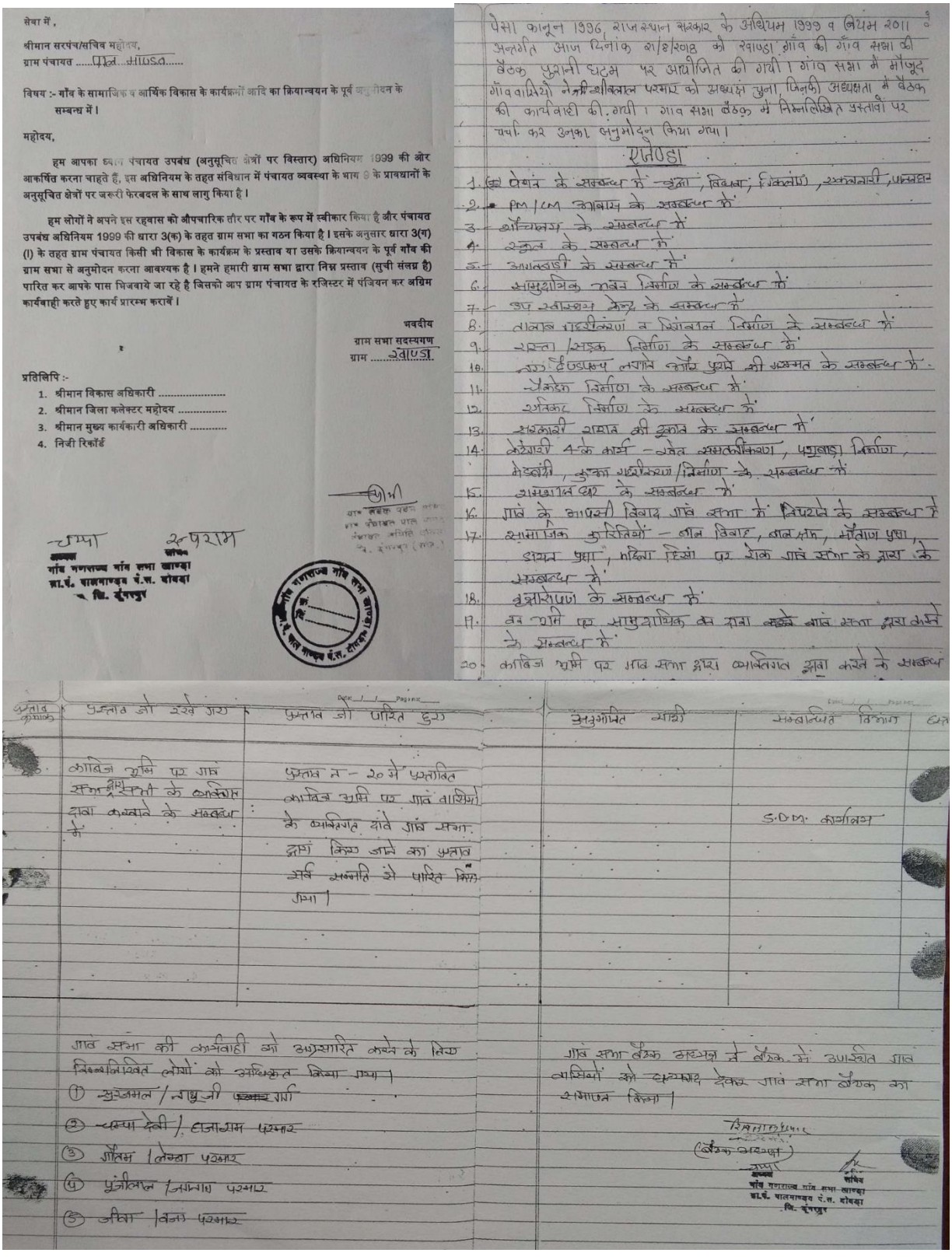

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......पाल मांडवा......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ......खांडा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

चम्पा — अध्यक्ष
रूपराम — सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा खान्डा
ग्रा.पं. पालमाण्डव पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 21/8/2018 को खाण्डा गाँव की गाँव सभा की बैठक पुरानी घटम पर आयोजित की गयी। गांव सभा में मौजूद गाँववासियों ने ~~श्री~~ श्रीलाल परमार को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा कर उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1. पेंशन के सम्बन्ध में - वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार
2. PM / CM आवास के सम्बन्ध में
3. शौचालय के सम्बन्ध में
4. स्कूल के सम्बन्ध में
5. आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में
6. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
8. तालाब गहरीकरण व सिंचाल निर्माण के सम्बन्ध में
9. रास्ता / सड़क निर्माण के सम्बन्ध में
10. नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में
11. चैकडेम निर्माण के सम्बन्ध में
12. एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में
13. सरकारी शराब की दुकान के सम्बन्ध में
14. केटेगरी 4 के कार्य - खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा निर्माण, मेडबंदी, कुआ गहरीकरण / निर्माण के सम्बन्ध में
15. श्मशान घाट के सम्बन्ध में
16. गांव के आपसी विवाद गांव सभा में निपटाने के सम्बन्ध में
17. सामाजिक कुरितियों - बाल विवाह, बाल श्रम, मौताणा प्रथा, डायन प्रथा, महिला हिंसा पर रोक गांव सभा के द्वारा के सम्बन्ध में
18. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
19. वन भूमि पर सामुदायिक वन दावा ~~करने~~ गांव सभा द्वारा करने के सम्बन्ध में
20. काबिज भूमि पर गाव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमोदित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी के व्यक्तिगत दावा करवाने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव नं - 20 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर गांव वासियों के व्यक्तिगत दावे गांव सभा द्वारा किए जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।		S.D.M. कार्यालय	

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

1. सुरजमल / नाथुजी ~~परमार~~ [illegible]
2. चम्पा देवी / हजाराम परमार
3. गौतम / लेम्बा परमार
4. पुंजीलाल / [illegible] परमार
5. जीवा / [illegible] परमार

गांव सभा बैठक अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित गांव वासियों को धन्यवाद देकर गांव सभा बैठक का समापन किया।

श्रीलाल परमार
(बैठक अध्यक्ष)

चम्पा — अध्यक्ष
सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा खान्डा
ग्रा.पं. पालमाण्डव पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. चंपा बाई 7568636538
2. जीवा जी
3. पूंजीलाल जी